न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 18/2021
प्रविष्टि दिनांक 1–2–2021

केलाश बागरिया पुत्र पदमा आयु 37 वर्ष निवासी ग्राम सरराड़ी थाना केकड़ी जिला–अजमेर राज0

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पेरोकार

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी वाहन नम्बर आर0जे0–48 जी ए–0030 प्रथम सूचना सं0 380/2020 थाना पीपलू जुर्म अन्तर्गत धारा 5, 6,8,9, राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11(डी) पशु कूरता निवारण अधिनियम 1960

उपस्थिति : (1) श्री शिवराज ताण्डी अभिभाषक प्रार्थी
(2) पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 22–2–2021**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि पुलिस थाना पीपलू ने दिनांक 22–12–2020 को वाहन नम्बर आर0जे0–48 जी ए–0030 पिकअप में 7 अवैध गोवंश (सांड)परिवहन करने पर राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशु कूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत अपराध पाये जाने पर **वाहन** जप्त कर गोवंश को केदारनाथ गौशाला झिराना मे संरक्षित रखवाने हेतु सुपुर्दगी मे दिये जाने के फलस्वरूप प्रार्थी ने व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र वाहन सुपुर्दगी हेतु प्रस्तुत किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव प्रकरण से सम्बन्धित पुलिस थाना पीपलू से पत्रावली तलब कर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार द्वारा अपनी लिखत बहस प्रस्तुत की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पुलिस थाना पीपलू ने दिनांक 22–12–2020 को वाहन नम्बर आर0जे0–48 जी ए–0030 पिकअप में 7 अवैध गोवंश (सांड)परिवहन करने पर राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशु कूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत अपराध पाये जाने पर वाहन जप्त किया है वाहन थाने में खुले स्थान पर खड़ा हुआ है, जिससे वाहन के ट्यूब,टायर आदि के खराब होने व रंग रोगन व इंजन में परिवर्तन अनि... संभावना है। वाहन के पुलिस में जप्त रहने से प्रार्थी को अपार आर्थिक क्षति हो ... है, पुलिस तफतीश पूर्ण हो चुकी है, प्रार्थी वाहन का पंजीकृत मालिक है प्रार्थी को वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने का अधिकार प्राप्त है। अभिभाषक का यह भी कथन है कि प्रार्थी गॉव वालों के ... पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:12:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

अवारा सांडों को अपने वाहन में भरकर दूसरे गॉव में ले जा रहा था यह सांड आपस में लड़ते हैं। तथा सांड (बछडों) को गोशाला वाले भी नहीं रखते हैं। अतः उक्त कार्य में प्रयुक्त जप्त शुदा वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी मे दिया जावे।

पेरोकार सरकार ने जवाबी बहस मे कथन किया कि प्रार्थी द्वारा बैलो (बछडों) को विधिवत रूप से कय नही कर ट्रक मे अव्यवस्थित रूप से क्षमता से अधिक भरकर ले जाया जा रहा था। बछड़ो को थानाधिकारी पीपलू द्वारा वाहन नम्बर आर0जे0–48 जी ए–0030 पिकअप गोवंश परिवहन करने पर राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशु कूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत अपराध पाये जाने पर जप्त किया गया है । जिला एंव सैशन न्यायाधीश ने भी अपने आदेश दिनांक 20–1–2021 के जरिए उक्त वाहन से धारा 5,6,8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशुओं के प्रति कूरता निवारण अधिनियम का अपराध कारित होना एंव राजस्थान गोवंशीय अधिनियम 1995 में हुए अधिनियम में संशोधन अधिनियम 2018(2019 अधिनियम सं.25) की धारा 6 क यह कहती है कि कभी भी इस अधिनियम के दण्डनीय अपराध किया जावे तो ऐसा अपनाध करने के लिए उपयोग में लाया गया प्रवहरण का कोई भी साधन अधहिरण के दायित्वहीन होगा ओर अभिगृहित वाहन को सुपुर्दगी में दिया जाना न्यायोचित नहीं माना है। इस कारण भी प्रार्थी सुपुर्दगार का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा व खर्चा खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

हमने बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थी ने उक्त जप्त शुदा वाहन नम्बर आर0जे0–48 जी ए–0030 पिकअप को अपनी सुपुर्दगी में लेने हेतु एक प्रार्थना पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक के यहॉ प्रस्तुत किया था जिस को न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक द्वारा दिनांक 13–1–2021 को खारिज कर दिया जिस पर प्रार्थी द्वारा जिला एंव सैशन न्यायाधीश टोंक के यहॉ अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूध निगरानी पेश की जिस पर न्यायालय जिला एंव सैशन न्यायाधीश टोंक ने आदेश दिनांक 20–1–2021 को प्रार्थी की निगरानी खारिज कर दी गई है। वाहन आर0जे0–48 जी ए–0030 पिकअप राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशु कूरता निवारण अधिनियम में जप्त किया गया है।

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) (संशोधन) अधिनियम 2018 (2019 का अधिनियम संख्यांक 25) की धारा 6–क. इस प्रकार हे–

धारा 6–क प्रवहण के साधन का अधिहरण–

(1) जब कभी भी इस अधिनियम के दण्डनीय अपराध किय जाये तो ऐसा अपराध करने के लिये उपयोग में लाया गया प्रवहण का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होगा।

(2) जहां उप धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण का कोई भी साधन इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करने के संबंध में अभिगृहित किया जाता है तो वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट, अभिगृहीत करने वाले अधिकारी को अयुक्तियुक्त विलम्ब के बिना की जायेगी और ऐसे अपराध के लिए चाहे अभियोजन संस्थित किये जाये या नहीं, उस क्षेत्र पर जहां प्रवहण का साधन अभिगृहीत किया गया था, अधिकारिता रखने वाला सक्षम प्राधिकारी यदि उसका समाधान हो जाये कि प्रवहण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:12:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

उक्त साधन इस अधिनियम के अधीन अपराध करने के लिये उपयोग में लिया गया था, प्रवहण के उक्त साधन के अधिहरण कर सकेगाः

परन्तु प्रवहण के उक्त साधन के अधिहरण का आदेश करने से पूर्व प्रवहण के उक्त साधन के स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा, और यदि ऐसा स्वामी सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कोई भी कारण नही था कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किये जाने के संभावना है और उसने ऐसे किसी अपराध को किये जाने को निवारित किये जाने में सम्यक् सावधानी बरती थी तो सक्षम प्राधिकारी प्रवहण के उक्त साधन का अधिहरण नहीं करेगाः

परन्तु यह और कि जहां प्रवहण का ऐसा साधन केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या उनके किसी उपक्रम के स्वामित्वाधीन हो, वहां प्रवहण के ऐसे साधन के अधिहरण का कोई आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जायेगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामला, प्रवहण के साधन के बारे में ऐसे आदेश करने के लिए राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जैसाकि राज्य सरकार उचित समझेः

परन्तु यह भी कि इस उप धारा के अधीन आधिहरण का आदेश करने के पूर्व,उप धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के साधन के स्वामी को अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय करने का विकल्प दिया जा सकेगाः

परन्तु यह भी कि प्रवहण के साधन के स्वामी को पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन विकल्प नही दिया जायेगा, यदि उसे किसी पूर्व अवसर पर उस परन्तुक के अधीन विकल्प दिया जा चुका है।

(3) जब कभी भी उप–धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के किसी साधन का इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के संबंध में अभिग्रहण किया जाता है, तब प्रवहण के ऐसे साधन के कब्जे, परिदान, व्ययन या निर्मुक्ति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को आदेश करने की अधिकारिता होगी, और तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, किसी न्यायालय अधिकरण या अन्य प्राधिकारी को उक्त अधिकारिता नहीं होगी।

(4) जहां सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि लोक हित में या उसके स्वामी के फायदे के लिये यह समीचीन है दकि इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने के लिए अभिगृहित, उप धारा (1) में यथा निर्दिष्ट प्रवहण के साधन का सार्वजनिक नीलाम से विक्रय किया जाये तो वह किसी भी समय उसका विक्रय किये जाने का निर्देश दे सकेगा।

(5) सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी अधिहरण आदेश, ऐसे किसी भी दण्ड के दिये जाने को निवारित नहीं करेगा जिसका, उससे प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दायित्वधीन है''।

प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों के अतिरिक्त अभिभाषक का यह भी कथन रहा है कि प्रार्थी गॉव वालों के कहने पर अवारा सांडों को अपने वाहन में भरकर दूसरे गॉव में ले जा रहा था क्योकि यह सांड आपस में लड़ते रहते हें तथा सांड (बछडों) को गोशाला वाले भी नहीं रखते हैं। अतः प्रार्थी का वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में अभिभाषक प्रार्थी एवं पैराकार [illegible] की लिखित बहस एवं विधिक प्रावधानों के मध्यनजर प्रार्थना पत्र [illegible] थाना पीपलू द्वारा जप्त वाहन आर0जे0–48 जी[illegible] पर प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश दिये जाते है कि यदि प्रार्थी उक्त वाहन के जुर्माने के रूप में

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:12:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
Scanned by CamScanner

15000/रूपये (पन्द्राह हजार स्पपये) राजकोष में जमा करवाकर रसीद एवं वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल दस्तावेज थानाधिकारी पीपलू को प्रस्तुत कर दें, तो वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी में दे दिया जावे। थानाधिकारी पीपलू को निर्णय की प्रति प्रेषित करें।

निर्णय आज दिनांक 22–2–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोक
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:12:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner